न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी – मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या– 134 / 2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
नैनाराम पुत्र पाबूराम जाति जाट निवासी पड़ासलां कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		01. भीरमराम पुत्र पाबूराम जाति जाट निवासी पड़ासलां कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		02 श्रीमती गीता पुत्री पाबूराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा
		03. श्रीमती पानीदेवी पुत्री पाबूराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी मालकोसनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		04. श्रीमती भूण्डीदेवी पुत्री पाबूराम पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी रेपड़ावास तहसील सोजतसिटी जिला पाली
		05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 27/08/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.3753 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 235 / 1 रकबा 1.1731 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 / 1 रकबा 3.7942 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 7.1354 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता पाबूराम जी की खातेदारी की थी। पाबूराम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जी के दो पुत्र नैनाराम, भीरमराम तथा तीन पुत्रिया गीता, पानीदेवी, भूण्डीदेवी तथा पत्नी प्रेमी है। उसके बाद पाबूराम जीं का देहान्त सन् 1993 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता पाबूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्यां–288 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश नाम श्याम पुत्र पाबुराम नाम लिख दिया, उसके बाद जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादी का नाम पपाराम पुत्र पाबुराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र पाबूराम है । वादी को घर में लाड प्यार से श्याम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम नैनाराम लिखा हुआ है। जब वादी के पिता पाबूराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम श्याम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र पाबूराम है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, जॉबकार्ड आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम नैनाराम लिखा हुआ है और जमाबन्दी में पपाराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने पपाराम पुत्र पाबुराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी नैनाराम पुत्र पाबूराम तथा पपाराम (श्याम) पुत्र पाबूराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 105, 235/1, 275, 468/1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय् में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में पपाराम (श्याम) पुत्र पाबुराम् नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यांर से श्याम पुकारते है, इस कारण वादी के पिता पाबूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम श्याम पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पाबुराम दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज नैनाराम पुत्र पाबूराम नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अन्त दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पड़ासलां कलां तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.3753 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 235/1 रकबा 1.1731 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468/1 रकबा 3.7942 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पपाराम पुत्र पाबुराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम पपाराम पुत्र पाबुराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1से 4 को उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा बार–बार आवाज दिलवाई गयी लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 4 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.12.2023 को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पडासलां कलां के खसरा नंबर 105 रकबा 1.3753 हैक्टयर, खसरा नंबर 235/1 रकबा 1.1731 हैक्टयर, खसरा नंबर 275 रकबा 0.7928 हैक्टयर, खसरा नंबर 468/1 रकबा 3.7942 हैक्टयर कुल 7.1354 हैक्टयर वादी के पिता पाबूराम की खातेदारी भूमि थी। वादी का प्रथम बार नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामा. 288 के श्याम पुत्र पाबूराम दर्ज हुआ। जिसे बाद के जमाबंदी चौसालों में पपाराम कर दिया गया। जो भूलवश व लिपिकीय त्रुटि से हुआ है। जबकि वादी का वास्तविक नाम नैनाराम है। प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में प्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें नाम दुरूस्ती आदेश अनुसार नामा. सं. 670 भरा गया जिसमें पपाराम की जगह नैनाराम की दुरूस्ती की गई। तथा जमाबंदी में अमलदरामद किया गया। प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में ही विभाजन नामा.सं. 674 के जरिये वादी का नाम जमाबंदी में फिर पपाराम दर्ज कर दिया गया। पद सं. 4 से 6 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं 7 से 9 का जवाब

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कानूनी है। वादी की ईस्तदुआ है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम पपाराम के स्थान पर नैनाराम किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पडासलां कलां के खसरा नंबर 105 रकबा 1.3753हैक्टयर, खसरा नंबर 235/1 रकबा 1.1731 हैक्टयर, खसरा नंबर 275 रकबा 0. 7928 हैक्टयर, खसरा नंबर 468/1 रकबा 3.7942 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टि पपाराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम की खातेदारी घोषणा किये जाने की रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नैनाराम पुत्र पाबूराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खसरा नंबर 275, 91, 105, 468 ग्राम पडासलां कलां , प्रदर्श 2 पहचान पत्र, प्रदर्श 3 विद्युत बिल, प्रदर्श 4 बैंक डायरी, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र सन् 1995 नैनाराम, प्रदर्श 2 पहचान पत्र सन् 1998 नैनाराम, प्रदर्श 3 राशन कार्ड नैनाराम, प्रदर्श 4 विद्युत बिल सितम्बर 2022 नैनाराम, प्रदर्श 5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सन् 2013 नैनाराम, प्रदर्श 6 किसान कार्ड नैनाराम, प्रदर्श 7 बैक खाता नैनाराम,, प्रदर्श 8 पहचान पत्र दिनेश पुत्र नैनाराम, प्रदर्श 9 जनआधार कार्ड उषा पत्नी नैनाराम आदि को पेश किया है। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम नैनाराम पुत्र पाबूराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पपाराम पुत्र पाबूराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नैनाराम पुत्र पाबूराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने पपाराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पडासला कला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 1.3753 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/1 रकबा 1.1731 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.7928 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 468/1 रकबा 3.7942 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पपाराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी

नैनाराम पुत्र पाबूराम
जाति जाट निवासी
पड़ासलां कलां तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

01. भीरमराम पुत्र पाबूराम
जाति जाट निवासी
पड़ासलां कलां तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर

02 श्रीमती गीता पुत्री पाबूराम
पत्नी कानाराम जाति जाट
निवासी खेजड़ला
तहसील बिलाड़ा

03. श्रीमती पानीदेवी पुत्री पाबूराम
पत्नी रामलाल जाति जाट
निवासी मालकोसनी तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर

04. श्रीमती भूण्डीदेवी पुत्री पाबूराम
पत्नी देवाराम जाति जाट
निवासी रेपड़ावास तहसील
सोजतसिटी जिला पाली

05. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 134 / 2022

निर्णय **दिनांक** :– 27/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पडासला कला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.3753 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 / 1 रकबा 1.1731 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.7928 हैक्टैयर, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

468/1 रकबा 3.7942 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पपाराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र पाबूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करनां चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा